UPSN010007642026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण)अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थित :– (डॉ० अमित वर्मा) आई.डी.–यू.पी. **2412**

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–251/2026

विजय कुमार गौतम उर्फ़ कल्लू उम्र लगभग 42, साल पुत्र बैजनाथ निवासी बैरीबरवा थाना सुरियावां जिला भदोही। ...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ...अभियोजन

मु. अ. सं. 57/2026
धारा-3/5A/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण,
109(1) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट
थाना-सुरियावां , जिला-भदोही।

दिनांक 31.03.2026

1. नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त विजय कुमार गौतम उर्फ़ कल्लू पुत्र बैजनाथ निवासी बैरीबरवा थाना सुरियावां जिला भदोही, द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित मु०अ०सं०–57/2026, धारा– 3/5A/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण, 109(1) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना-सुरियावां , जिला-भदोही सुना गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि पुलिस थाना सुरियांवा द्वारा आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में गलत ढंग से फसाया गया है जबकि प्रार्थी बेगुनाह है कोई जुर्म नही किया है। तथाकथित घटना में किसी पुलिस कर्मी अथवा पब्लिक के आदमी को कोई चोट नही है। घटना दिनांक 1–3–2026 की कही जाती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 2–3–2026 को विलम्ब से कायम की गयी है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रार्थी के पास से न तो कोई मवेशी न ही किसी प्रकार के मवेशियो का मांस व कोई अंग बरामद हुआ है। यह कि तथाकथित घटना प्रार्थी के गांव की कही जाती है, पुलिस का यह कथन है कि आवेदक/अभियुक्त को मौके पर पकड़ा गया और आवेदक/अभियुक्त से पुलिस ने बयान भी लिया और उसके बाद पुलिस का यह कहना है कि वह धक्का देकर अँधेरे का लाभ उठाकर मौके से भाग गया जबकि यह घटना पुलिस के कथनानुसार 6 बजे शाम की है जहां पर गांव एवं पब्लिक के तमाम लोगो की मौजूदगी अवश्य संभव है किन्तु ऐसी परिस्थिति में पब्लिक के किसी भी व्यक्ति का मौके पर न होना कथित घटना को संदेहास्पद बनाती है। यह कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई इलेक्ट्रानिक साक्ष्य नहीं है न तो मौके की कोई फोटोग्राफी अथवा विडियो ग्राफी है। यह कि मौके से जो हुन्डई सेन्ट्रो कार नम्बर डी एल 7 ती ई 6941 बरामद होना कहा जाता है वह वाहन उसके नाम नहीं है और न तो उसका उससे कोई मतलब है। पुलिस थाना सुरियांवा के पास उसके इकबालिया बयान के अलावा अन्य कोई साक्ष्य नही है उसे उसके बयान के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त बनाया गया है जबकि उसने जैसा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया है ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया था। पुलिस प्रार्थी के दुश्मनानो के साजिश में होकर उसे घर से पकड़कर ले आयी और पैर में गोली मार कर उसके पास से फर्जी असलहा की बरामदगी दिखाकर उपरोक्त मुकदमे में फसा दिया। उसके विरुद्ध उपरोक्त धारा का कोई अपराध नही बनता है । उसकी जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय से खारिज हो गयी है, यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इससे सम्बन्धित कोई प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन नही है। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।वह जमानत पर रिहा होने के पश्चात उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, गवाहो पर नाजायज दबाव नहीं

डालेगा और जब भी न्यायालय तलब करेगी न्यायालय में हाजिर रहेगा। अतः प्रार्थना है कि उसे उचित जमानत मुचलके पर रिहा करने की कृपा करे।

3. अभियोजन कथानक अनुसार दिनांक 01.03.2025 को वादी मुकदमा/थानाध्यक्ष मनीष द्विवेदी मय हमराहियान का0 चन्दन गौड़ व का0 विकास यादव व म0का0 रीमा यादव के मय सरकारी वाहन यूपी 66 जी 0237 मय चालक हे0का0 हैदर अली के बिनावर देखभाल क्षेत्र शांति व्यवस्था व आगामी त्यौहार के दृष्टिगत होलिका दहन स्थल का भ्रमण करता हुआ क्षेत्र में मासूर था कि उ0नि0 धीरज यादव के द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम बैरीपरवा में गौकशी की सूचना प्राप्त हुई है एवं मौके पर गोकशी करने वालों को जनता के लोगों द्वारा घेर लिया गया है इस पर पुर्व से रवानाशुदा उ०नि० धीरज यादव व उ0नि0 संजय सिंह को मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाने हेतु सूचित किया गया एवं वादी मुकदमा महिला आरक्षी रीमा यादव को थाने हेतु रवाना कर शेष हमराहियान के ग्राम बैरीपरवा के लिए रवाना हुआ एवं मौके पर पहुंचा तो उ०नि० धीरज यादव व उ०नि० संजय सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि एक वाहन हुण्डई सेन्ट्रो कार नं0–DL7CE6941 से 04 अभियुक्त गोवध कर मांस का परिवहन कर रहे थे जिन्हें जनता के लोगो द्वारा घेर लिया गया था जब हमलोग सूचना पर मौके पर पहुंचे तो धर पकड़ के दौरान एक व्यक्ति राजकुमार सरोज उर्फ बड़कू पुत्र किशोरी लाल सरोज निवासी अमिलहरा थाना सुरियावां जनपद भदोही व दो व्यक्ति नाम पता अजात मौके से भाग गये किन्तु एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया जिसने पूछने पर अपना नाम विजय गौतम उर्फ कल्लू पुत्र बैजनाथ निवासी बैरिपरवा थाना सुरियावां जनपद भदोही, बताया जिसकी पुष्टी जनता के लोगों द्वारा की गयी। पकड़े गये व्यक्ति विजय गौतम उपरोक्त से भागे हुए व्यकियों के सम्बन्ध से पूछा गया तो बताया कि साहब मैं भागे हुए व्यकियों मे से एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसका नाम राजकुमार सरोज उर्फ बड़कू पुत्र किशोरी लाल सरोज निवासी अमिलहरा थाना सुरियावां जनपद भदोही है शेष दो व्यक्कियों का नाम राजकुमार सरोज ही जानता है वे और राजकुमार सरोज दोनों ने कल एक अवारा छुट्टा सांड रात में खेत में चरते हुए पकड़ लिया था इस पर राजकुमार सरोज ने मुझसे कहा कि मैं कुछ व्यक्तियों को जानता हूँ जो गाय व बैल के मांस को खरीदते व वध करते है यदि हम इस सांड को उन्हे दे दें तो हमे अच्छा मुनाफा होगा। इस पर वे व राजकुमार दोनों ने सांड को हाककर रात में नहर के किनारे बैर के पेड़ के नीचे बांध दिये और राजकुमार ने उससे कहा उसने खरिददार को सूचना दे दी है। दो ढ़ाई घण्टे बाद दो व्यक्ति सफेद सेन्ट्रो कार से आये जिनका नाम पता वे नहीं जानता और उन चारो ने मिलकर सांड को रात में ही वध कर दिया और काट कर मांस बोरे में भरे। तब तक सुबह हो गयी और गांव के लोग आने जाने लगे तब उन्होंने अपने बचाव में सांड के धड़, चमड़ा व अन्य शरीर के टुकड़ो को छुपाने के उद्देश्य से खेतों में इधर उधर छिपा दिये एवं जानवर की पहचान न हो सके इसलिए सिर को सेन्ट्रो कार में रख कर भागने के फिराक में थे कि गांव वालों ने उन्हें सांड का सिर गाड़ी में रखते हुए देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी तब तक आप पुलिस वाले आ गये। इस दौरान उसके तीनों साथी मौके से भाग निकले लेकिन उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। इस पर पकड़े गये व्यक्ति से खेतों मे फेके मृत गोवंश को दिखाने हेतु कहा गया तो विजय उर्फ कल्लू ने साथ चलकर दिखाने को कहा कि वादी मुकदमा व उ0नि0 संजय सिंह विजय उर्फ कल्लू को साथ लेकर खेत की तरफ आगे बढ़े कि विजय गौतम उर्फ कल्लू पुत्र बैजनाथ निवासी बैरिपरवा थाना सुरियावां जनपद भदोही ने उन्हें जोरदार धक्का देकर गिरा दिया और उबड़ खाबड़ रास्ते का लाभ पाकर खेतो से होता हुआ मौके से भाग गया जिसका पीछा किया किन्तु नही मिला गिरने से वादी मुकदमा को काफी चोटे भी आई है। मौके पर पहुचकर मौजूद वाहन हुण्डई सेन्ट्रो कार नं0–DL7CE6941 की नियमानुसार तलाशी की गयी तो वाहन की डिग्गी में गोवंश सांड का सिर व एक अदद आला कत्ल चापड़ बरामद हुआ तत्पश्चात आस पास घुम टहल कर

देखा गया तो नहर के किनारे खेतों में थोड़ी–थोड़ी दूर पर गोवंश का धड़, चमड़ा, रक्त, हड्डी के टुकड़े मिले जिसकी मौके पर हमराहियों के मदद से फोटो ग्राफी की गयी। मौके से पशु चिकित्सक को सूचित किया गया थोड़ी देर में पशु चिकित्सक मौके पर उपस्थित आये जिनके द्वारा गोवंश के मांस के टूकड़ो से नमूना संकलित किया गया तत्पश्चात गोवंश के मांस हड्डी, चमडा व सिंर को कब्जा पुलिस में लेकर संक्रमण न फैले इसके दृष्टिगत बोरों में भरकर नमक डलवाकर दूरस्थ विरान स्थान पर उ0नि0 संजय सिंह द्वारा जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर गड़वाया गया तत्पश्चात उ०नि० बृजबिहारी राम चौकी प्रभारी ड्योखर थाना सुरियावां को वाहन संख्या––DL7CE6941 हुण्डई सेण्ट्रो कार को चलवाकर/खिंचवाकर थाने पर खड़ा कराने हेतु निर्देशित किया गया तत्पश्चात अभियुक्तों की तलाश में टीम बनाकर उ0नि0 धीरज यादव व उ0नि0 संजय सिंह को हिदायत मुनासिब कर क्षेत्र में रवाना किया गया। तत्पश्चात वादी मुकदमा/थानाध्यक्ष मय हमराहियान के प्रस्थान कर अभियुक्तों के मिलने के सम्भावित स्थानो पर दबिश दी। अभियुक्तों की तलाश में दानूपुर तिराहे के पास मामूर था कि सूचना मिली कि आप जिस राजकुमार सरोज उर्फ बड़कू पुत्र किशोरी लाल सरोज निवासी अमिलहरा थाना सुरियावां जनपद भदोही व विजय गौतम उर्फ कल्लू पुत्र बैजनाथ निवासी बैरिपरवा थाना सुरियावां जनपद भदोही की तलाश कर रहे है वह इस समय मतेथू तिराहे से कलिंजरा रोड पर कुसुमान्जली आई.टी.आई मतेथू विद्यालय के सामने निर्माणाधीन पानी की टंकी के थोड़ा आगे प्राथमिक विद्यालक के पास बाग में छिपे हुए है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर उ0नि0 धीरज यादव व उ0नि0 संजय सिंह को तलब कर मकसद से अवगत कराते हुए बताये हुए स्थान पर पहुंचकर अभियुक्तों की तलाश की गयी कि प्राथमिक विद्यालय वीरभदपट्टी से करीब 100 मीटर पहले झाड़ियों की आड़ में दो व्यक्ति लुकते छिपते दिखाई दिये जिन्हे देखते ही उ०नि० धीरज यादव व उ0नि0 संजय सिंह द्वारा एक व्यक्ति की पहचान करते हुए चिल्लाकर बताया गया कि यही व्यक्ति विजय गौतम उर्फ कल्लू है, झाड़ी की आड़ में छिपते दोनो व्यक्ति खेतों की तरफ भागने लगे जिनका पीछा किया गया तो दूसरे व्यक्ति नें विजय गौतम को ललकारा कि मारो पुलिस वालों को, विजय गौतम उर्फ कल्लू नें तमंचा निकालकर पुलिसजन की तरफ तान दिया जिसपर पुलिसजन अपने बचाव में जमीन पर आड़ में लेट गये। पुलिसजन द्वारा दोनो व्यक्तियों को आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया तभी सामने से अभियुक्त विजय गौतम उर्फ कल्लू ने पुलिसजन को जान से मारने की नियत से एक फायर झोंक दिया जो वादी मुकदमा/ थानाध्यक्ष के ठीक बगल से निकल गयी और पुलिसजन बाल बाल बच गये तब उनके द्वारा अभियुक्तों को भयभीत व आत्मसमर्पण कराने के उद्देश्य से एक फायर अपने सरकारी पिस्टल से उपर आसमान कि तरफ हवा मे किया गया किन्तु आत्मसमर्पण करने के बजाय विजय गौतम उर्फ कल्लू उपरोक्त अपने जेब से कारतूस निकालकर तमंचे मे भरने लगा कि जान का खतरा देखकर एवं कोई अन्य उपाय न पाकर आत्मरक्षा में उनके द्वारा जवाबी कार्यवाही करते हुए एक गोली विजय गौतम उर्फ कल्लू उपरोक्त के पैर की तरफ फायर किया गया जिसपर विजय गौतम वहीं पर चिल्लाते हुए गिर गया। एवं उसके हाथ से तमंचा छूट कर जमीन पर गिर गया यह देखकर विजय गौतम के साथ मौजूद दूसरा व्यक्ति मौके से जंगल–झाड़ी का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहा। विजय गौतम उपरोक्त के करीब पहुंचे तो देखा कि विजय गौतम उर्फ कल्लू उपरोक्त जमीन पर पड़ा कराह रहा है जिसके घुटने के नीचे चोट लगी है जिसके जीवन रक्षा हेतु घाव पर कपड़े से कस कर बांध कर खुन का बहाव रोका गया एवं नाम व पता पूछा गया तो अपना नाम विजय गौतम उर्फ कल्लू पुत्र बैजनाथ निवासी बैरिपरवा थाना सुरियावां जनपद भदोही स्वीकार कर रहा है भागने वाले दूसरे व्यक्ति के विषय में पूछा गया तो बता रहा है कि भागने वाले व्यक्ति का नाम राजकुमार सरोज उर्फ बड़कू है, भागने व जान लेवा हमला करने का कारण पूछा गया गया तो बताया कि उसने अपने अन्य तीन साथियों के साथ कल रात में एक सांड का वध कर

दिया था जिसकी सूचना पुलिस को हो गयी थी और दोपहर में पुलिस ने उसे पकड़ लिया था उसके बाकी साथी, जिनमें राजकुमार सरोज भी मौजूद, मौके से भाग गये थे वे भी किसी तरह पुलिस को धक्का देकर मौके से भाग लिया था जिसके बाद वह अपने साथी राजकुमार सरोज के साथ भागने के फिराक में था, यहां छिपा था एवं अपने बचने के लिए राजकुमार सरोज से तमंचा व कारतूस मंगा लिया था जिससे उसने हमलोगों पर फायर किया था। नियमानुसार तलाशी की गयी तो अभियुक्त के पैण्ट के दाहिने जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व पैण्ट की बायी जेब से एक अदद मोबाइल आईटेल कम्पनी का IMEI–354854200620229 बरामद हुआ। जिसमे एक सिम एयरटेल का 5जी प्लस क्र0–0124 आईडी 89910092165 05804250 लगा है। मौके पर आवश्यक कार्यवाही कर फर्द बनाया गया। उपरोक्तानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बंधित थाने में पंजीकृत कराई गई।

4. विद्वान् ए.डी.जी.सी. (फौजदारी) के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त के जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये ।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आरोप है कि प्रार्थी/अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया है और मौके से गौ मांस व एक अदद चापड़ बरामद हुआ है और अभियुक्त/प्रार्थी के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के द्वारा गंभीर अपराध किया जाना परिलक्षित होता है, अतः मामले के तथ्य एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण दोष पर विचार व्यक्त करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होता हैं तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विजय कुमार गौतम उर्फ़ कल्लू पुत्र बैजनाथ निवासी बैरीबरवा थाना सुरियावां जिला भदोही, द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित मु०अ०सं०–57/2026, धारा– 3/5A/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण, 109(1) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना-सुरियावां , जिला-भदोही, खारिज किया जाता है।

दिनांक 31.03.2026

(डॉ० अमित वर्मा)
आई. डी.–यू.पी.2412
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.04.15 11:03:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court